भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अंश

संविधान निर्मिति का घटनाक्रम :-

9 दिसम्बर 1946	-	संविधान सभा की पहली बैठक
29 अगस्त 1947	-	संविधान निर्माण के लिए सात सदस्यों की समिति का गठन किया गया।
30 अगस्त 1947	-	मसौदा समिति की बैठक में डॉ. बी.आर.आंबेडकर को सर्वसम्मति से मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया।
27 फरवरी 1948	-	संविधान का मसौदा भारत सरकार के राजपत्र में लोगों की जानकारी एवं उनके विचार जानने हेतु प्रकाशित किया गया।
नवंबर 1948	-	संविधान सभा में मसौदे के प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़कर उन पर विचार किया गया।

17 अक्तुबर 1949 - संविधान सभा में मसौदे के प्रावधानों को दुसरी बार पढ़नें और विचार करने का कार्य पूरा किया गया।

4 नवंबर 1949 - संविधान सभा में मसौदे के प्रावधानों को तीसरी बार पढ़नें और विचार करने
हेतु प्रस्तुत किया गया।

26 नवंबर 1949 - भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया।

संविधान मसौदे पर 11 सत्र में (114 दिनों में) विचार किया गया।

संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट का समावेश है।

भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 17 दिन की अवधि में हुआ।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

प्रस्तावना (Preamble)

हम,भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सबमें

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और स्वअर्पित करते हैं.

प्रस्तावना (Preamble) में वे आदर्श हैं, जो भारतीय संविधान के आधार है।

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य-सर्व अधिकार संपन्न, समाजवादी, सभी धर्मो को बराबरी का दर्जा देने वाला (सर्व धर्म समभाव), लोकतांत्रिक तथा लोगों के प्रभुत्व का राष्ट्र। प्रस्तावना के प्रारंभ में ''संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' यह शब्द थे। समाजवादी और धर्म निरपेक्ष यह शब्द 42 वें संशोधन, 1976 के बाद जोड़े गये।

लोकतंत्र - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह रुप और पध्दति है, जिससे बगैर रक्तपात के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए जाते है।

बाबासाहेब के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बगैर राजनैतिक लोकतंत्र अर्थहीन है। सामाजिक लोकतंत्र, राजनैतिक और आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। सामाजिक लोकतंत्र यह एक जीवन मार्ग है, जो

समता, स्वतंत्रता और बंधुता को जीवनतत्व के रुप में मान्यता देता है।

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय- किसी भी भारतीय के साथ जाति, वर्ण या धर्म के कारण भेद न हो और सबके साथ समान सामाजिक न्याय हो। सभी भारतीयों को आर्थिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त हो और किसी के साथ आर्थिक स्थिति के कारण भेद न हो। सभी भारतीयों को वोट देने का समान अधिकार हो, राजनैतिक क्षेत्र में भाग लेने का सबको समान अधिकार हो, और किसी के साथ भी भेद न हो।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता-

स्वतंत्रता के बगैर आदमी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। विचार थोपे नहीं जाने चाहिए, अभिव्यक्ति पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, धर्म और उपासना के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।

प्रतिष्ठा और अवसर की समता - स्वतंत्रता के बगैर न्याय का कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार समता के बगैर स्वतंत्रता का कोई उपयोग नहीं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में समता हो तथा अवसर और सुविधायें प्रदान की जायें, जिससे व्यक्तित्व का पूरा विकास हो।

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता - डॉ. आंबेडकर के अनुसार बंधुता याने सभी भारतीयों में समान भाईचारे की भावना। वह ऐसा सिध्दान्त है, जो सामाजिक जीवन में एकता और सुदृढ़ता प्रदान करता है। उनके अनुसार बंधुता के बगैर स्वतंत्रता और समता केवल दीवाल पर पेन्ट की परत चढ़ाने के समान होगा, जिसमें गहराई नहीं होगी। उन्होंने यह कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता कायम हो, ऐसी बंधुता हो। इतना ही नहीं तो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे रखने के लिए भी बंधुता आवश्यक है।

मूलभूत अधिकार

संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक मूलभूत अधिकार का वर्णन किया गया है। मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य यह है की, ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें हर नागरिक समता और स्वतंत्रता का जीवन यापन कर सकें तथा यदि राज्य या अन्य व्यक्ति किसी नागरिक के साथ भेदभाव करता है, उसकी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे संवैधानिक संरक्षण मिले। इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी भारतीय सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14 के अनुसार, सभी भारतीय नागरिकों को विधी के समक्ष समता होगी। राज्य तथा भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधी के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा।

विधी (कानून) सभी लोगों पर समान रुप से लागू होगा, भारतीय नागरिक किसी भी हैसियत का हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या अत्यंत निम्न स्तर का हो, अपने कृत्य के लिए न्यायालय के समक्ष समान रुप से जवाबदेय होगा। न्यायिक प्रक्रिया समान परिस्थितियों में सबके लिए समान होगी। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल न्यायालय के समक्ष जवाबदेय नहीं होंगे।

अनुच्छेद 15 (2) (क) के अनुसार, किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 15 (2) (ख) के अनुसार, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार, राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार, राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए विद्यार्थीयों के लिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 15 (5) के अनुसार, राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये विद्यार्थियों के लिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में, जो राज्य द्वारा अनुदानित हो या न हो, प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है. इनमें निजी शिक्षण संस्थायें सम्मिलित है परन्तु अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थायें सम्मिलित नहीं है।

राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण, छूट, छात्रवृती इत्यादि का प्रावधान कर सकता है।

रोजगार में समान अवसर

अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार, रोजगार में सबको समान अवसर होगा। राज्य के अधीन किसी भी पद के रोजगार या नियुक्ति का सभी नागरिकों को समान अवसर होगा।

अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, राज्य के अधीन कोई रोजगार या किसी पद के लिए कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, जन्मस्थान या निवास के आधार पर अपात्र नहीं होगा और न ही उससे इस आधार पर भेद किया जायेगा। यह प्रावधान केवल नौकरी में नियुक्ति के लिए ही नहीं परन्तु सभी प्रकार की नियुक्ति के लिए लागू होगा। इसी प्रकार, केवल नियुत्त के लिए ही नही तो पदोन्नति और पदमुक्ति के लिए भी लागू होगा।

अनुच्छेद 16 (3) के अनुसार, भारतीय संसद को यह अधिकार होगा कि वह ऐसा कानून बना सकती है, जिसमें यह अपेक्षित हो, किसी राज्य में या देश के किसी क्षेत्र में या स्थानीय निकाय में किसी पद पर नियुक्ति के लिए नागरिक

उस राज्य या उस क्षेत्र के निवासी हो। ऐसा करने से उस राज्य या उस क्षेत्र के निवासियों की नियुक्ति हो सकेगी। संसद ने इस प्रकार की निवास की शर्त का कानून आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए बनाया था।

अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है और राज्य इसे महसूस करता है तो वह ऐसे वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 16 (4क) के अनुसार, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है और राज्य इसे महसूस करता है तब वह सेवाओं के किसी भी पद पर पदोन्नति हेतु इन वर्गो के हित में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 16 (4ख) के अनुसार, यदि किसी वर्ष में अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4क) के अंतर्गत आरक्षित पद भरे नहीं गये, तब यह पद बाद के वर्ष में भरे जाएंगे और यह पद

उस वर्ष में भरे जाने वाले पदों के साथ कुल पचास प्रतिशत अधिकतम आरक्षण की सीमा में जोड़े नहीं जाएंगे। किसी भी वर्ष में आरक्षित पदों की भरने की अधिकतम सीमा कुल पदों के पचास प्रतिशत है, परन्तु पिछले वर्षों के रिक्त पद यदि किसी आगामी वर्ष में भरे जाते हैं तो उस वर्ष में ऐसे रिक्त पदों को पचास प्रतिशत पदों के अतिरिक्त भरा जाएंगा।

अनुच्छेद 16 (5) के अनुसार, यदि किसी कानून में यह प्रावधान है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय का हो, तब उसे लागू करने में इस अनुच्छेद की कोई बात आड़े नहीं आयेगी अर्थात् ऐसा कानून प्रभावी रहेगा।

अस्पृष्यता का अंत

अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिध्द किया गया है। यदि कोई अस्पृश्यता का आचरण करता है तो वह अपराध होगा और कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

(संविधान लागू होने के 64 साल बाद भी भारत में अस्पृश्यता का आचरण हो रहा है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में। यह अनेक सर्वेक्षणों से सिध्द हो चुका है। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया परन्तु वह आज भी जीवित है और मान्यता प्राप्त है। अस्पृश्यता का आचरण जाति व्यवस्था के कारण किया जाता है। अस्पृश्यता का मूल जाति है। जब तक जाति रहेगी, तब तक अस्पृश्यता रहेगी। अस्पृश्यता का अंत तभी होगा, जब जाति का अंत होगा। इसलिए इस प्रावधान को प्रभावी बनाने हेतु संविधान मे ''जाति का अंत'' का प्रावधान करना अत्यंत जरुरी है।)

उपाधियों का अंत

अनुच्छेद 18 (1) के अनुसार, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 18 (2) के अनुसार, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 18 (3) के अनुसार, कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है और भारत का नागरिक नहीं है, वह राष्ट्रपति की सहमती के बगैर किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 18 (4) के अनुसार, कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बगैर किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या पद स्वीकार नहीं करेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 (1) के अनुसार, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के निम्नलिखित अधिकार होंगे।

(क) वाणी या वाक् स्वतंत्रता और कथन या अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार

(ख) शांतिपूर्वक और शस्त्ररहित सम्मेलन का अधिकार

(ग) असोसिएशन, संगम या संघ बनाने का

अधिकार

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने या संचरण करने का अधिकार

(ड.) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार

(छ) कोई व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार, नीचे लिखे हितों की रक्षा के लिए राज्य अपने वर्तमान कानून के अनुसार वाणी या अभिव्यक्ति पर उचित बंधन लगा सकता है या कानून बना सकता है।

भारत की प्रभुता (Soverignty) और अखंडता (Integrity),

राज्य की सुरक्षा,

विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध,

लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में या

न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध भड़काने के संबध में

अनुच्छेद 19 (3) के अनुसार, भारत की प्रभुता और अखंड़ता या लोकव्यवस्था के हित में राज्य अपनी वर्तमान कानून के अनुसार संगठित होने के संबंध में उचित बंधन लगा सकता है और इन हितों की रक्षा के लिए कानून बना सकता है।

अनुच्छेद 19 (4) के अनुसार, भारत की प्रभुता और अखंड़ता या लोकव्यवस्था या सदाचार के हित में राज्य अपनी वर्तमान कानून के अनुसार असोसिएशन या संघ बनाने के संबंध में उचित बंधन लगा सकता है और इन हितों की रक्षा के लिए कानून बना सकता है।

अनुच्छेद 19 (5) के अनुसार, आम जनता के हित में तथा अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए राज्य अपने वर्तमान कानून के अनुसार भारत में मुक्त रूप से घूमने, घर बनाने, बसने तथा की खरीदी-बिक्री के संबंध में उचित बंधन लगा सकता है और इन हितों की रक्षा के लिए

कानून बना सकता है।

अनुच्छेद 19 (6) के अनुसार , आम जनता के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार अपनी वर्तमान कानून के अनुसार भारत में व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने संबंधी उचित बंधन लगा सकता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए विधि बना सकता है। व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के लिए व्यावसायिक या यांत्रिक योग्यता संबंधी कानून भी राज्य बना सकता है। इसी प्रकार राज्य स्वयं या कार्पोरेशन बनाकर या उस पर अपना नियंत्रण रख कर व्यवसाय, कारोबार, उद्योग या रोजगार चलाने संबंधी कानून बना सकता है। राज्य ऐसे व्यापार, कारोबार, उद्योग या रोजगार में नागरिकों को अंशतः या पूरी तरह बेदखल कर सकता है।

इस प्रकार संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 (1) में दिये अधिकारों की गारंटी देता है, परन्तु उनका उपयोग स्वच्छंद और अनियंत्रित नहीं हो सकता। अराजकता और अव्यवस्था पैदा न हो, इसलिए आम जनता

के हित में राज्य बंधन लगा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शांति और सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने के लिए राज्य आवश्यक शर्तें लगा सकता है।

यह आवश्यक है कि, राज्य केवल असामान्य स्थिति में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर बंधन लगा सकता है। यदि लगाए गए बंधन के कारण किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे लगाए गए बंधन उचित हैं या अनुचित, इस बात का निर्णय करने का अधिकार न्यायपालिका को है।

अनुच्छेद 20 के अनुसार, अपराधों के लिए दोषी ठहराने पर सरंक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार, अपराधी ने जिस समय पर कानून का उल्लंघन किया है, उस समय पर लागू कानून के अनुसार ही उसे दोषी ठहराया जायेगा तथा उस पर उस समय के कानून के अनुसार ही दंड आरोपित किया जायेगा, उससे अधिक दंड आरोपित नहीं किया जायेगा। उसे उस समय के पूर्व के किसी कानून के अनुसार दोषी नहीं ठहराया

जायेगा और न ही दंड आरोपित किया जायेगा।

अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति पर समान अपराधों के लिए एक ही बार मुकदमा चलाया जायेगा और उसे एक ही बार दंडित किया जायेगा।

अनुच्छेद 20 (3) के अनुसार, किसी भी अपराधी को उसके अपने विरुध्द साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 21 के अनुसार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सरंक्षण की व्यवस्था की गई है। विधि में स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है तथा वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकारी है। केवल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।

राज्य को किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का उल्लघंन

करने का अधिकार नहीं है। यदि राज्य किसी नागरिक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून के प्रावधानों का कड़ाई से और पूरी तरह से पालन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीका से सजा दी गई है तो वह व्यक्ति राज्य के विरुध्द न्यायालय में प्रकरण दाखिल कर सकता है अर्थात् शासन किसी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार ही दोषी ठहरा सकता है।

यद्यपि काम का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, परन्तु राज्य का यह कर्तव्य है कि, वह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को, दलित और आदिवासियों को जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराये।

अनुच्छेद 21 क के अनुसार, राज्य को शिक्षा का अधिकार प्रदत्त किया गया है।राज्य छह वर्ष से चौदह वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का विधि संगत प्रावधान करेगा।

[शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1-4-

2010 से लागू हो गया। इस अधिनियम के अनुसार छह से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है।]

अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कस्टडी में रखने संबंधी संरक्षण की व्यवस्था दी गई है।

अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के कारण शीघ्र बताये जायेंगे। उसे बिना कारण बताये कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने तथा अपनी रक्षा करने का अवसर दिया जायेगा।

अनुच्छेद 22 (2) के अनुसार, गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय जाने तक का समय छोड़कर नजदीकी मेजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा तथा मेजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अवधि से अधिक समय तक उसे कस्टडी में नहीं रखा जायेगा।

अनुच्छेद 22 (3) के अनुसार, गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति उस समय तक यदि शत्रु देश का निवासी है या प्रतिबंधक गिरफ्तारी Preventive Detention वाले किसी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तब ऐसे व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 22 (1) और 22 (2) की बातें लागू नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताना आवश्यक नहीं तथा उसे 24 घंटे के भीतर मेजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं।

अनुच्छेद 22 (4) के अनुसार, शासन प्रतिबंधक गिरफ्तारी वाले किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को तीन माह से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में नहीं रख सकता। (क) तीन माह से अधिक अवधि की कस्टडी के लिए, उन तीन माह के भीतर, शासन को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाहकार समिति से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी, जिसमें यह लिखा हो कि उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रखने के पर्याप्त कारण हैं। परन्तु यह अवधि संसद द्वारा अनुच्छेद 22 (7) (ख) के

अनुसार पारित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी या (ख) ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 22 (7) (क) और 22 (7) (ख) के अधिन संसद द्वारा बनाये गए विधि के प्रावधानों के अनुसार कस्टडी में रखा जायेगा।

अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार, प्रतिबंधक गिरफ्तारी वाले किसी कानून के अंतर्गत पारित किये गए किसी आदेश का पालन कर जब किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है, तब उस व्यक्ति को शीघ्र यह सूचित करना होगा कि वह आदेश किन आधारों पर पारित किया गया है ताकि उस व्यक्ति को उस आदेश के विरुध्द अभ्यावेदन (Representation) करने का अवसर मिले।

अनुच्छेद 22 (6) के अनुसार, यदि आदेश पारित करने वाला अधिकारी यह मानता है कि आदेश के तथ्यों को अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार सूचित करना जनहित विरोधी है, तब वह ऐसे तथ्य सूचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 22 (7) के अनुसार, संसद विधि के अनुसार निम्नलिखित बातें तय करेगी।

(क) किन परिस्थितियों में, किन वर्गो के मामलों में किसी व्यक्ति को प्रतिबंधक गिरफ्तारी के कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करने पर सलाहकार समिति के सलाह के बगैर 3 माह से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है।

(ख) प्रतिबंधक गिरफ्तारी में, किन वर्गों के मामलों में, किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक कस्टडी में रखा जा सकता है।

(ग) सलाहकार बोर्ड द्वारा कैसी जांच की प्रक्रिया अपनानी चाहिये।

शोषण के विरुध्द अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो संविधान द्वारा दिया गया है, परन्तु समाज कमजोर, पिछड़े हुए और गरीब वर्गों को उनकी मजबूरी का फायदा लेकर कोई व्यक्ति या राज्य शोषण करता है तो ऐसे शोषण के विरुध्द कार्यवाही करने का संविधान द्वारा अधिकार दिया

गया है।

अनुच्छेद 23 के अनुसार, मानव की तस्करी और बलपूर्वक श्रम करने का निषेध किया गया है।

1. यदि कोई किसी व्यक्ति की तस्करी करता है, बेगार करवाता है तथा किसी प्रकार का जबरदस्ती से काम करवाता है तो वह प्रतिबंधित है और जो कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह कानून के अनुसार दंडनीय अपराधी होगा।

2. राज्य सार्वजनिक हितों के लिए अनिवार्य सेवा घोषित कर सकता है, परन्तु ऐसी सार्वजनिक सेवा घोषित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 24 के अनुसार, कारखानों आदि में बालकों के रोजगार का निषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में रोजगार नहीं दिया जा सकता तथा उसे किसी धोखादायक काम में नहीं लगाया जा सकता।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 राज्य की धर्मनिरपेक्षता पर बल देते हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी भाव के प्रति प्रतिबध्दता के लिए आवश्यक है। भारत के राज्य अपना खुद का कोई एक धर्म प्रस्थापित नहीं कर सकते, न ही किसी एक धर्म विशेष को संरक्षण दे सकते हैं।

अनुच्छेद 25 के अनुसार, अंतःकरण की और धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

1. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को मद्दे नजर रखते हुए और इस भाग के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखकर, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

2. राज्य को यह अधिकार है कि वह,

(क) धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य धर्म निरपेक्ष कार्यों के लिए नियम बना सकते हैं या बंधन लगा सकते हैं, परन्तु ऐसा करते वक्त राज्य द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के सिध्दांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

(ख) सामाजिक, कल्याण और सुधार के लिए हिन्दुओं की सार्वजनिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए खुला करने के प्रावधान करें। यहां हिन्दुओं में बौध्द, जैन और सिख धर्मों के लोगों का समावेश है। सिख धर्म के लोगों के लिए कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना उनके धर्म का अंग माना जायेगा।

अनुच्छेद 26 के अनुसार, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को मद्दे नजर रखकर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अंग को निम्नलिखित अधिकार होंगे-

(क) धार्मिक और धर्मदाय कार्यों के लिए संस्था स्थापित करना और उन्हें चलाना।140

(ख) अपने धार्मिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करना।

(ग) स्थायी और अस्थायी संपत्ति अर्जित करना और उसका स्वामित्व रखना।

(घ) विधि के अनुसार ऐसी सपंती का प्रबंधन करना।

अनुच्छेद 27 के अनुसार, किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए, करों के भुगतान के संबध में स्वतंत्रता दी गई है। किसी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, जिनकी प्राप्तियां किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि या रखरखाव के खर्चों में समायोजित की गई है।

अनुच्छेद 28 के अनुसार, 1) राज्य की निधि से पूर्णतः सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

2) उपरोक्त बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी, जिसका प्रशासन राज्य करता है, परन्तु उसकी स्थापना किसी ऐसे विन्यास या न्यास द्वारा की गई है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जायेगा। उसी प्रकार उस संस्था में या उस संस्था से सलंग्न स्थान में किसी व्यक्ति को उसकी बगैर सहमति से धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति के बिना उसे धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

संस्कृति और शिक्षा संबंधि अधिकार

अनुच्छेद 29 के अनुसार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा।

1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के समूह को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 के अनुसार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा।

1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और उनके प्रशासन का अधिकार होगा।

1 क) अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था की संपत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के लिए प्रावधान करने का कानून बनाते वक्त राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए रकम इतनी नियत करेगा कि अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन न हो।

2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित की जा रही है।

संविधानिक उपचारों का अधिकार

(अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32 के बारे में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था,''यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का कौनसा अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बगैर यह संविधान कुछ भी नहीं है, तो मैं कहूंगा इस अनुच्छेद के अलावा अन्य कोई अनुच्छेद नहीं है। यह संविधान का प्राण और हृदय है।''

संविधान में मूलभूत अधिकारों को प्रदत्त करने का तब तक कोई औचित्य नहीं रहता, जब तक उन्हें सही तौर पर अमल में लाने की गांरटी नही दी जाती। संविधान, मूलभूत अधिकारों के अमल की गांरटी, कार्यपालिका और विधिमंडल दोनों के कार्य के संबंध में देता है। यदि संविधान

का कोई अनुच्छेद मूलभूत अधिकारों की गारंटी के विरुध्द है तो उसे निरस्त करने का अधिकार न्यायपालिका को है। इन अधिकारों के पालन के लिए न्यायपालिका राज्य की किसी भी हस्ती के विरुध्द रिट (Writ) जारी कर सकती है।

अनुच्छेद 32 के अनुसार, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो ऐसे प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय में सीधे आवेदन दाखिल करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मूलभूत अधिकारों के पालन के लिए आवश्यकतानुसार आदेश, निर्देश या रिट (Writ) जारी कर सकता है। रिट पांच प्रकार की होती है -

(1) Habeas corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण) - किसी व्यक्ति को कैदी बनाया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना और उसे कैदी बनाने के कारण को जानना और यदि उसे न्याय संगत कैदी नहीं बनाया गया

है तो उसे मुक्त करना। उसी प्रकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने गैरकानूनी तरीके से कैदी बनाया है तो उसे न्यायालय द्वारा मुक्त करना। इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से राज्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा अकारण वंचित नहीं किया जा सकता।

(2) Mandamus (परमादेश) - किसी व्यक्ति, अधिकारी, शासन या न्यायालय द्वारा यदि जनता के प्रति अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय उनके लिए आदेश जारी कर सकता है। यह रिट मूलभूत अधिकारों के क्रियान्वयन तथा उनसे संबंधित अन्य कार्यों के लिए जारी की जा सकती है।

(3) Prohibition (प्रतिषेध) - इस रिट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निचली अदालत को कुछ बातें नहीं करने हेतु प्रतिबंधित करते हैं।

(4) Certiorari (उत्प्रेषण) - प्रतिषेध में निचली अदालत द्वारा गलत आदेश, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, पारित करने के लिए रोक लगा दी जाती है, परन्तु उत्प्रेषण में

निचली अदालत द्वारा आदेश पारित करने के बाद उसे निरस्त करने का आदेश किया जाता है।

(5) Quo-warranto (अधिकार-पृष्छा) - न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी कर्मचारी द्वारा सरकारी या सरकार के अधिन कार्यालयों में पेश दस्तावेजों की जांच करें और यदि दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो उस कर्मचारी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

संविधान द्वारा उपरोक्त रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर संसद यह अधिकार अन्य न्यायालयों को दे सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन मौलिक अधिकारों के संरक्षण और गारंटी के लिए हुआ है। इसलिए उसका दायित्व है कि मौलिक अधिकारों के हनन के हर आवेदन को स्वीकार करें और आवेदक को न्याय दें।

आपातकाल (Emergency)

(अनुच्छेद 352)

आपातकाल में सभी मौलिक अधिकारों पर अमल बंद हो जाता है। देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं -

(1) राष्ट्रीय आपातकाल - देश पर बाहरी आक्रमण के कारण

(2) संवैधानिक आपातकाल - राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण

(3) आर्थिक आपातकाल.

संविधान द्वारा आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रीमंडल से मशविरे के बाद राष्ट्रपति को प्रस्तुत अनुशंसा के बाद यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट होता है कि युध्द, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध के कारण भारत की सुरक्षा को धोखा है, तब वह आपातकाल की घोषणा करता है। ऐसी

स्थितियां उत्पन्न होने से पहले भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्णय पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

आपातकाल का समय सामान्यतः 2 माह का होता है, परन्तु यदि लोकसभा का सत्र शुरु नहीं है तो लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद वह प्रभावशील नहीं रहेगा। लोकसभा आपातकाल को हर बार 6 महीने तक बढ़ा सकती है। आपातकाल अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

संविधान की प्रस्तावना हमें वह मूलभूत सिध्दांत दर्शाता है, जिन पर संविधान आधारित है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व वह मूलभूत सिध्दांत है, जिनके अनुसार संविधान का पालन किया जाता है। इस प्रकार प्रस्तावना में दिये गए सिध्दांतों को निदेशक तत्व मजबूत और विशेष आकार देते हैं। देश का शासन करने के लिए निदेशक तत्व मूलभूत करार दिये गये है। नीतियां बनाते वक्त सरकार इन

तत्वों का आधार लेती है।

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 50 तक निदेशक तत्व दिये गए है। संविधान के दूसरे अनुच्छेद कानून के रूप में है, परन्तु निदेशक तत्व कानून के रूप में नहीं है और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक विषयों में आर्थिक नियंत्रण, उचित वेतन और मजदूरी, काम का अधिकार इत्यादि का समावेश है। इसके अलावा बाल कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी इसमें समावेश है।

अनुच्छेद 37 के अनुसार, निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किये जा सकते, फिर भी वे शासन के संचालन के लिए मौलिक हैं। उन्हें कानून बनाने के लिए लागू करना शासन का दायित्व है तथा उन्हें राज्य द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता।

संविधान सभा में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था, 'यदि निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य काम नहीं करते हैं तो

उन्हें चुनाव के समय मतदाताओं को उत्तर देना पड़ेगा।' राज्य की कार्यप्रणाली में निदेशक तत्व विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक है। वह जनहित में कानून बनाने, कार्यपालिका द्वारा अमल करने के लिए मार्गदर्शक है।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि, निदेशक तत्व देश के शासन और प्रशासन के लिए निदेश है। जो भी सत्ता में आता है, वह अपनी मनमर्जी के अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। शासन करते वक्त इन निदेशों का आदर करना होगा, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माता के विचार में इस देश का कल्याणकारी राज्य बनाना था। उनके मन में इस देश में प्रजातांत्रिक तरीके से सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अनुच्छेद 37 के अनुसार, इस भाग में किए गए प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किन्तु फिर भी इनमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

अनुच्छेद 38 के अनुसार, राज्य लोक कल्याण की अभिवृध्दि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा -

(1) राज्य,न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रभावी रूप से स्थापित करेगा और उसका संरक्षण करेगा, जिससे लोक कल्याण की अभिवृध्दि होगी। राज्य इस व्यवस्था को राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।

(2) राज्य, विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों के बीच और विभिन्न व्यवसायों के बीच असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39 के अनुसार, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व राज्य नीचे लिखित बातें सुनिश्चित करते हुए अपनी नीति का विशेष रूप से संचालन करेगा।

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का

अधिकार हो।

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का सर्वोत्तम रूप से बंटवारा हो जिससे सामूहिक हित सुरक्षित रहे।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन-साधनों का केन्द्रीकरण न हो और सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। अल्पवयीन व्यक्तियों की शोषण से तथा

नैतिक और आर्थिक पतन से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 39क के अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्य उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 40 के अनुसार, ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त (स्वयं के) शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 41 के अनुसार, बेरोजगारी, बुढ़ापा,बीमारी, असमर्थता और अन्य अभाव के प्रकरणों में, राज्य अपनी आर्थिक और विकास की सीमाओं में रहकर काम का

अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रभावी प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य, काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 43 के अनुसार, राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचाारियों को काम, निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। वह विशिष्ट रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43क के अनुसार, राज्य, किसी उद्योग में स्थापित उपक्रमों के, स्थापना के या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 45 के अनुसार, राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख-रेख और शिक्षा देने के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्ट रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधि हितों की विशेष सावधानी से अभिवृध्दि करेगा। वह सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। वह विशेष रूप से, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के उपभोग का प्रतिबंध करने का प्रयास

करेगा। राज्य, औषधी बनाने में उपयोग किये जाने वाले पदार्थो पर प्रतिबंध नहीं करेगा।

अनुच्छेद 48 के अनुसार, राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। वह विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों का रक्षण करेगा और उनके सुधार के लिये और उनके वध को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठायेगा।

अनुच्छेद 48 क के अनुसार, राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 49 के अनुसार, राज्य, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरूचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का, संरक्षण करेगा, उन्हें यथास्थिति रखेगा तथा उनकी लूट, रूप बिगड़ने, विनाश, हटाने, बिक्री या निर्यात से सरंक्षण करेगा।

अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य नीचे लिखे प्रयास करेगा -

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृध्दि का,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का,

(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(घ) अन्तरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का

मूलभूत अधिकार और निदेशक तत्व में तुलना

1. मूलभूत अधिकार भारत के नागरिकों को समता और स्वतंत्रता की गारंटी देते है।	1. निदेशक तत्व भारत के नागरिकों को न्याय मिले, इसलिए दिशा देते हैं।
2. मूलभूत अधिकारों के हनन के बाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।	2. निदेशक तत्व राज्य द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार पालन करने होते हैं। उनके विरुध्द न्यायालय में नहीं जा सकते।
3. मूलभूत अधिकार राज्यों पर बंधन है ताकि उनका पूरा पालन किया जा सके।	3. निदेशक तत्वों का पालन करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है।
4. मूलभूत अधिकारों द्वारा लाभ लिया जाता है।	4. निदेशक तत्व राज्य के आचार की नियमावली है।
5. मूलभूत अधिकारों के लिये विधि की भाषा का प्रयोग किया गया है।	5. निदेशक तत्वों के लिए साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था, ''संविधान सभा का यह उद्देश्य है कि भविष्य में विधि निर्माता और कार्यपालिका निदेशक तत्व के इन सिध्दांतों को केवल बातों तक सीमित न रखे, बल्कि देश के शासन के लिए इन्हें विधि बनाने और कार्यान्वयन के लिए आधार बनाये।''

अंत में यह कहा जा सकता है कि, मूलभूत अधिकार व्यक्तिगत क्षेत्र के आधार हैं और निदेशक तत्व देश के शासन के आधार हैं। दोनों के प्रति राज्य का दायित्व है, परन्तु उनका कार्यान्वयन अलग-अलग है।

मूल कर्तव्य

संविधान के भाग 4क को 1976 में किये गए 42 वें संशोधन के बाद मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 51क के अनुसार, मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित

करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाये रखे,

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें,

(ङ) भारत के सभी लोगों में एकरूपता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुध्द है,

(च) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षण करे,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा

सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले,

(ट) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या पाल्य को माता-पिता या संरक्षक अपनी स्थिति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। इसे 2002 में किये गये 46 वे संशोधन के बाद जोड़ा गया।

लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 330 के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित रहेगें। यह स्थान किसी राज्य में या संघ राज्यक्षेत्र

में उनकी जितनी जनसंख्या है, उसके अनुपात में होंगे।

राज्य के विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 332 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। यह स्थान उन राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे।

स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का सत्तर वर्ष के पश्चात न रहना

अनुच्छेद 334 के वर्ष 2009 में किये गये 95 वें संशोधन के अनुसार, संविधान के प्रारंभ से सत्तर वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और विधान सभाओं में आरक्षण प्रभावी नहीं रहेंगे। संविधान के प्रारंभ में यह अवधि दस वर्ष के लिए थी। वह हर दस साल के बाद दस वर्ष के लिए बढ़ाई गई, जो वर्तमान में संविधान प्रांरभ होने से सत्तर वर्ष के लिए

है।

सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद 335 के अनुसार, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंधि सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जायेगा। यह करते वक्त प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का ध्यान रखा जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए परीक्षा में अंको की कमी और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने के लिए बंधन नहीं होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद 338 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति आयोग होगा। इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होगें। उनकी सेवा शर्ते एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार

होगा तथा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। इस आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं संचालित करने का अधिकार होगा।

आयोग का निम्नलिखित कर्तव्य होगा -

1. अनुसूचित जातियों के लिए संविधान द्वारा या अन्य कानून द्वारा या शासन के आदेश द्वारा प्राप्त संरक्षण से संबंधित जांच करें और उन पर निगरानी रखें तथा इन संरक्षणों से संबंधित कार्य का मूल्यांकन करें।

2. अनुसूचित जातियों को प्राप्त अधिकार एवं संरक्षण से वंचित करने की शिकायतों की जांच करें।

3. अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उनको सलाह दें तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें।

4. अनुसूचित जातियों को प्राप्त संरक्षण के क्रियान्वयन के बारे में प्रति वर्ष या आयोग द्वारा तय अवधि के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5. ऐसी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों को प्राप्त

संरक्षण, संरक्षण के अन्य उपाय, उनका कल्याण एवं उनके सामाजिक - आर्थिक विकास संबंधि प्रभावी उपायों के बारे में सिफारिश करें।

6. राष्ट्रपति या संसद द्वारा बनाये गए कानून के अनुसार अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में दिये गए अन्य कार्य करें।

आयोग से प्राप्त रिपोर्ट में संघ से संबंधित सिफारिशों पर टिप्पणी करने के बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा। इसी प्रकार राज्य से संबंधित सिफारिशों पर टिप्पणी करने के बाद वह राज्यों के राज्यपालों को विधान सभाओं में रखने हेतु भेजेगा।

अनुसूचित जातियों के मामलों में जांच करते वक्त आयोग को सिविल न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

1. भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को समन्स भेजना, उसको हाजिर कराना तथा शपथ दिलाकर परीक्षा करना।

2. किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश कराना।

3. शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना।

4. किसी न्यायालय या कार्यालय से रिकार्ड मंगवाना।

5. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन भेजना।

6. राष्ट्रपति द्वारा किये गए नियमों के अनुसार अन्य विषय पर निर्णय लेना।

संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 338क के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। इस आयोग में अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार होगा तथा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। इस आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं संचालित करने का अधिकार होगा।

आयोग का निम्नलिखित कर्तव्य होगा -

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान द्वारा या अन्य कानून द्वारा या शासन के आदेश द्वारा प्राप्त संरक्षण से संबंधित जांच करें और उन पर निगरानी रखें तथा इन संरक्षणों से संबंधित कार्य का मूल्यांकन करें।

2. अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त अधिकार एवं संरक्षण से वंचित करने की शिकायतों की जांच करें।

3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उनको सलाह दें तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें।

4. अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संरक्षण के क्रियान्वयन के बारे में प्रति वर्ष या आयोग द्वारा तय अवधि

के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5. ऐसी रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संरक्षण, संरक्षण के अन्य उपाय, उनका कल्याण एवं उनके सामाजिक - आर्थिक विकास संबंधि प्रभावी उपायों के बारे में सिफारिश करें।

6. राष्ट्रपति या संसद द्वारा बनाये गए कानून के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में दिये गए अन्य कार्य करें।

आयोग से प्राप्त रिपोर्ट में संघ से संबंधित सिफारिशों पर टिप्पणी करने के बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा। इसी प्रकार राज्य से संबंधित सिफारिशों पर टिप्पणी करने के बाद वह राज्यों के राज्यपालों को विधान सभाओं में रखने हेतु भेजेगा।

अनुसूचित जनजातियों के मामलों में जांच करते वक्त आयोग को सिविल न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

1. भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति

को समन्स भेजना, उसको हाजिर कराना तथा शपथ दिला कर परीक्षा करना।

2. किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश कराना।
3. शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से रिकार्ड मंगवाना।
5. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन भेजना।
6. राष्ट्रपति द्वारा किये गये नियमों के अनुसार अन्य विषय पर निर्णय लेना।

संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगे।

सन 2003 के पूर्व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही केन्द्रीय आयोग था। इस वर्ष संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय आयोग बनाये गए।

(संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यरत हैं, परन्तु वह प्रभावी नहीं है। यह आयोग प्रभावी नहीं होनें के कुछ कारण इस प्रकार हैं-

1. आयोग के पदाधिकारी एवं सदस्य केन्द्र में जिस पार्टी का शासन होता है, उस पार्टी से संबंधित होते हैं। यदि वह पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के उत्थान के प्रति उदासीन है तो आयोग भी उदासीन होता है।

2. केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आयोग के सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता।

3. आयोग द्वारा निश्चित समयावधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती।

4. यदि रिपोर्ट प्रस्तुत भी की जाती है तो उस पर संसद तथा विधान सभाओं में विचार नहीं किया जाता।

उपरोक्त कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, परन्तु यह सत्य है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए निरुपयोगी सिध्द हुए है क्योंकि इन समुदायों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है।)

पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग

अनुच्छेद 340 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा, पिछड़े वर्गो की स्थिति की जांच करने के लिए, आदेश पारित कर, आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग में राष्ट्रपति ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा। आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जायेगी। इस आयोग द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों और उनकी कठिनाइयों की जांच की जायेगी। आयोग उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी परिस्थिति सुधारने के लिए संघ या राज्य द्वारा उपाय किये जाने के संबंध में सिफारिश करेगा। इसी प्रकार उनकी

परिस्थिति सुधारने के लिए संघ या राज्य द्वारा अनुदान और अनुदान की शर्तों के बारे में सिफारीश करेगा।

आयोग, उपरोक्त विषयों पर जांच कर सिफारिशों सहित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति रिपोर्ट की एक प्रति कार्यवाही हेतु ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।

अनुसूचित जातियां - अनुच्छेद 341 के अनुसार, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति उन जातियों को, मूलवंशो को या जनजातियों को या उन जातियों के, मूलवंशों के या जनजातियों के समूहों को निर्देशित कर लोक अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना में निर्देशित जातियों को उस राज्य या राज्य संघ क्षेत्र की अनुसूचित जातियां माना जायेगा। संसद, कानून बनाकर, इन जातियों की सूची में कुछ जातियां जोड़ सकती है तथा कुछ जातियां कम कर सकती है।

अनुसूचित जनजातियां - अनुच्छेद 342 के अनुसार, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति उन जनजातियों को या जनजाति समुदायों को निर्देशित कर अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना में निर्देशित जनजातियों को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। संसद, कानून बनाकर, इन जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियां जोड़ सकती है तथा कुछ जनजातियों को कम कर सकती है।

विशेष निदेश

अनुच्छेद 350 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या के निराकरण के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी के समक्ष संघ या उस राज्य की किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है।

अनुच्छेद 350क के अनुसार, प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति यदि उचित

समझता है तो इस संबंध में राज्य को निदेश जारी करेगा।

अनुच्छेद 350ख के अनुसार, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को दी गई संवैधानिक सुविधाओं की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। विशेष अधिकारी से प्राप्त सभी रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवायेगा तथा संबंधित राज्यों को भेजेगा।

अनुच्छेद 351 के अनुसार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन दें ताकि वह सभी भारतीयों की बोलचाल की भाषा बनें।

भारत का संविधान लोक कल्याण के लिए बना हुआ है, परन्तु बीतें 64 वर्षों में केवल चंद लोगों का कल्याण हुआ है और बहुसंख्यक लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। संविधान की आधारशिला न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, परन्तु बहुसंख्यक लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वे मानसिक गुलाम है, वे विषमता के शिकार हैं और उनमें आपसी भाईचारा बनने की बजाय द्वेष बढ़ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान का नहीं, ब्राम्हणवाद का अनुपालन हो रहा है क्योंकि अन्याय, गुलामी, विषमता और द्वेष ब्राम्हणवाद के आधार हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में ब्राम्हणवाद के शिकार बहुसंख्यक लोग ब्राम्हणवाद के समर्थक बने हुए है। ब्राम्हणवादियों ने उन्हें रूढ़ी परंपरा, अंधविश्वास और जातिवाद के जाल में इस तरह फंसा कर रखा है कि शिक्षित होने के बावजुद अपना हित और अहित नहीं समझ पा रहे हैं। वह ब्राम्हणवाद के इन बंधनों से मुक्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्वतंत्रतापूर्वक विचार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर बंधी हुई ब्राम्हणवाद की मजबूत पट्टी को खोलकर फेंकना होगा, तभी वह अपने कल्याण का रास्ता देख पाएंगे। संविधान

में उनके कल्याण का रास्ता है, परन्तु ब्राम्हणवाद के बंधनों के कारण वे उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे है और हासिल नही कर पा रहे है। अधिकतर लोगों को तो संविधान की जानकारी ही नहीं है।

जातिव्यवस्था ब्राम्हणवाद की रीढ़ है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्रस्थापित करनें के लिए जाति का निर्मूलन आवश्यक है। जब तक जाति रहेगी, तब तक यह मूल्य प्रस्थापित नहीं हो सकते। जब तक जाति रहेगी मूलभूत अधिकारों का हनन होता रहेगा और केन्द्र या राज्य की लोक कल्याण की नीति का लाभ नहीं होगा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का संपूर्ण आंदोलन जाति के विरोध में ही था। लोक कल्याण और राष्ट्र हित की दृष्टि से विचार करने वाले सभी बुद्धिजिवी जाति निर्मूलन के विषय पर गहराई से विचार करें और यदि उचित प्रतित होता है तो इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएं। इसी प्रकार संविधान में जाति निर्मूलन का प्रावधान हो इसलिए जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करें। जाति के आधार पर आरक्षण लेने वाले कुछ लोग इस आंदोलन का विरोध कर सकते हैं। उन्हें बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ को त्यागना होगा और जाति के आधार पर वंचित लोगों के लिए लाभ के अन्य उपाय तलाशने होंगे।